



Neutral Citation No. - 2026:AHC:38193-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 3843/2026

राज वीर

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मोहम्मद आबिद अली

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को आज ही के दिन रिट याचिका में पक्षों की सूची में 'एस.एस.पी., बरेली' को प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में शामिल करने की अनुमति दी जाती है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया, और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
3. यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है :-

"(i) परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादियों को - विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को - निर्देश दिया जाए कि वे प्रथम सूचना रिपोर्ट/मामले

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(मुकदमा अपराध संख्या 0467/2025, बी.एन.एस. की धारा 281 और 106(1) के तहत, पुलिस थाना- फतेहगंज ईस्ट, जिला- बरेली में पंजीकृत) में निष्पक्ष और तटस्थ जांच करें; यह रिपोर्ट याचिकाकर्ता द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराई गई थी।

(ii) परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादियों को - विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को - निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता द्वारा 30.12.2025 को दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसरण में, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करें।

(iii) मेंडमस की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादियों को कानून के अनुसार कार्य करने का आदेश/निर्देश दिया जाए।

(iv) कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और सही समझे।

(v) याचिका का खर्च याचिकाकर्ता को दिलाया जाए।"

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ही प्रथम सूचनादाता है, और यद्यपि इस मामले में एफ.आई.आर. 30.12.2025 को पंजीकृत की गई थी, फिर भी पुलिस मामले की जांच निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से नहीं कर रही है।

5. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 5 - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें वह अपनी शिकायत को उजागर करे और निष्पक्ष तथा तटस्थ जाँच की माँग करे; और यदि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 5 - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली, इस मामले में निष्पक्ष, तटस्थ और त्वरित जाँच सुनिश्चित करेंगे।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. उपरोक्त आदेश के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता) (न्यायमूर्ति अचल सचदेव)

19 फरवरी, 2026

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”